आरक्षित निर्णय

न्यायालय उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक पुनरीक्षण सं0 313/2016

राम सागर ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो ... प्रतिवादी

सहित

आपराधिक पुनरीक्षण सं0 314/2016

राम सागर ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो ... प्रतिवादी

श्री नवनीत कौशिक, अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता।

श्री संदीप टंडन, अधिवक्ता प्रतिवादी सीबीआई।

[माननीय लोकपाल सिंह, न्यायमूर्ति]

दोनों आपराधिक पुनरीक्षण विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई), देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2015 के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध सीबीआई मामला संख्या

04/2014 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 के तहत आरोप तय किए गए थे, जैसा कि सीबीआई मामला संख्या 05/2014 में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 के तहत आरोप तय किये गये थे, दोनों का शीर्षक सीबीआई बनाम राम सागर है।

2) इससे पहले दोनों आपराधिक पुनरीक्षणों को इस न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 15.11.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत पुनरीक्षणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 15.11.2018 के निर्णय से व्यथित होकर, पुनरीक्षणकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो आपराधिक अपीलों आपराधिक अपील सं0 1763/2019 और आपराधिक अपील सं0 1764/2019 को प्राथमिकता दी, दोनों का शीर्षक, राम सागर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 26.11.2019 के द्वारा दोनों अपीलों को स्वीकार कर लिया और इस मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय को भेज दिया।

3) दोनों अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश को यहां उद्धृत किया गया है :–

"अनुमति प्रदान की

हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय ने अनुबंध मामले से संबंधित आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों पर विचार नहीं किया है। इसने केवल नियुक्तियों और रिकॉर्ड के छेड़छाड़ के संबंध में कार्रवाई की है। हम यह भी पाते हैं कि दिए गए कारण निष्कर्ष पर आने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, न्यायहित तभी पूरा होगा यदि उच्च न्यायालय द्वारा मामले की फिर से सुनवाई की जाती है ताकि दोनों पक्षों को अपने संबंधित मामले को रखने में सक्षम बनाया जा सके।

आलोच्य निर्णय अपास्त किया जाता है। दोनों आरोप पत्रों में एकत्रित रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर आरोप तय करने/रिहाई के पहलू पर नए सिरे से सुनवाई के लिए मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

तद्नुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि उच्च न्यायालय यथाशीघ्र इस मामले का फैसला करेगा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।''

4) योग्यता के आधार पर दोनों पुनरीक्षण को तय करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह न्यायालय यह बताना आवश्यक समझता है कि इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए थे कि आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत मंजूरी की कमी के कारण, पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी नहीं रह सकता है, लेकिन अपीलों को दाखिल करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील की गई जिसमें एक नई दलील दी गई कि इस न्यायालय ने दोनों आरोप पत्रों में एकत्रित रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर आरोप/रिहाई के पहलू पर विचार नहीं किया है और पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया है। आपराधिक पुनरीक्षण के आधारों के अवलोकन से पता चलेगा कि पुनरीक्षणकर्ता ने ऐसा कोई आधार नहीं लिया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप तय किए जा

सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर, यह न्यायालय इन आपराधिक संशोधनों को नए सिरे से तय करने के लिए बाध्य है।

5) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पुनरीक्षणकर्ता राम सागर प्रासंगिक समय पर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एआरआईईएस), मनोरा पीक, नैनीताल के निर्देशक थे। इस न्यायालय में श्री डी.एन. भट्ट और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपीपीआईएल संख्या 07/2012 में दिनांक 16.04.2013 को पारित आदेश पर सीबीआई, देहरादून शाखा में वर्तमान मामला दर्ज किया गया था। रिट याचिका में 31 अलग–अलग आरोप लगाए गए थे जिन्हें वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने का आधार बनाया गया था। नतीजतन, पुनरीक्षणकर्ता सहित तीन नामित व्यक्तियों के खिलाफ भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 409, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

6) जांच के दौरान यह पता चला कि कुल 31 आरोपों में से 29 आरोप या तो गलत थे या निर्देशक ARIES या गवर्निंग काउंसिल ARIES की ओर से प्रक्रियात्मक खामियां पाई गईं। जांच के दौरान केवल दो आरोप आपराधिक प्रकृति के पाए गए। चूंकि साजिश के दोनों मामले अलग–अलग प्रकृति के हैं

और अलग–अलग कारित किए गए हैं, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ दो अलग–अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे।

7) पुनरीक्षणकर्ता ने दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में मंजूरी की अनुपस्थिति के प्रारंभिक आधार पर रिहाई की मांग करते हुए निचली अदालत के समक्ष दो आवेदन दायर किए थे। निचली अदालत ने उक्त आवेदनों को दिनांक 25.08.2015 को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि चयन और नियुक्ति करना पुनरीक्षणकर्ता का आधिकारिक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन अवैध रूप से नियुक्ति करना और अभिलेखों में छेड़छाड़ करने को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह भी देखा गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा किए गए कार्यों को आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के रूप में नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनांक 25.08.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए, जिसके तहत आरोपमुक्ति के आवेदनों को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, पुनरीक्षणकर्ता ने दो आपराधिक पुनरीक्षण सं0 319 और 320/2015 को इस न्यायालय

की एक समन्वय पीठ के समक्ष दायर किया। दिनांक 06.10.2016 के आदेश द्वारा उन्हें नए सिरे से पुनरीक्षण करने की स्वतंत्रता के साथ निष्फल बताकर खारिज कर दिया गया था।

8) चूँकि पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 05.12.2015 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप तय किए। सीबीआई के मामला सं0 05/2014 में विचारण न्यायालय द्वारा 05.12.2015 को पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए थे :–

> सबसे पहले, कि आपने वर्ष 2008–10 के दौरान ARIES, मनोरा पीक, नैनीताल (उत्तराखंड) में निर्देशक के रूप में पदस्थापित रहते और कार्य करते हुए श्री ओम प्रकाश, इंजीनियर ''सी'' ARIES, प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैसर्स सूद एंड सूद, फरीदाबाद, के प्रोपराइटर श्री देस राज सूद और मैसर्स टीआरएफआई (जमानत सत्यापन के लिए नियुक्त फर्म) के मुख्य सलाहकार अभियंता श्री ए.एल.संधाल के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए सीमेंट स्टील, सामग्री और मजदूरी के कारण भुगतान वृद्धि के लिए

पत्र/आदेश दिनांक 25.05.2010 द्वारा एक फार्मूला निकाला गया। भुगतान के लिए आपके द्वारा अपनाया गया फार्मूला उस फॉर्मूले से अलग है जो अनुबंध समझौते में निर्धारित किया गया था और अनुबंध समझौते और सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 10सीसी और 10सीए दोनों वर्गों को एक साथ लागू करके भुगतान किया गया था। आपराधिक साजिश के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए समय विस्तार और ओम प्रकाश, परियोजना अभियंता द्वारा प्रस्तुत किए गए भुगतान के संबंध में आदेश दिनांक 25.05.2010 को जारी करना और आप तत्कालीन निर्देशक ARIES द्वारा अनुमोदित किया गया था और अनुबंध के निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन करके यह एरीज़/भारत सरकार को धोखा देने के लिए किया गया था। मैसर्स सूद एंड सूद और मैसर्स टीआरएफआई (बिल सत्यापन के लिए नियुक्त फर्म) के ठेकेदार/मालिक के साथ मिलकर आपस में आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने मैसर्स सूद एंड सूद और मैसर्स टीआरएफआई को भी अनुचित लाभ देने के लिए अनुबंध के निर्धारित प्रावधान के उल्लंघन में काम किया और इस प्रकार सरकार

(ARIES) को रूपये 70,81,346/– का सदोष हानि कारित हुई और आप सभी को सदोष लाभ भी पहुंचा। इस प्रकार आपने इस न्यायालय के संज्ञान में और भा0दं0सं0 की धारा 120बी सपठित धारा 420 और पीसी अधिनियम की धारा 13(2) सपठित 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध किया है।

दूसरी बात यह है कि आपने उपरोक्त समय, स्थान और तरीके से एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश के दौरान बेईमानी और धोखाधड़ी से एक गलत फॉर्मूला अपनाकर सरकार (ARIES) को रूप्ये 70,81,346/– का सदोष हानि पहुंचायी, जिसके तहत अनुबंध समझौते और सीपीडब्लयूडी नियमावली के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके 10सीसी और 10सीए दोनों वर्गों को एक साथ अपनाया गया था जिनके खंड 32.9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक अनुबंध में जहां खंड 10सीसी लागू है, 10सीए का संचालन नहीं किया जा सकता है और वृद्धि की गणना करते समय काम पूरा होने की निर्धारित तिथि पर परिचालन और सूचकांक भी तय नहीं थे और 10सीसी और 10सीए दोनों खंडों को गलत तरीके से लागू करके ठेकेदार को रूपये

70,81,346/– का अधिक भुगतान किया गया था और इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 420 और इस न्यायालय के संज्ञान में एक दंडनीय अपराध कारित किया है।

तीसरा, कि आपने उपरोक्त अवधि, स्थान और तरीके से ठेका फर्म को ठेके के काम के भुगतान में धोखाधड़ी या बेईमानी से सदोष लाभ के रूप में और सरकार (ARIES) को सदोष हानि के रूप में रूपये 70,81,346/– रुपये की अधिक राशि का भुगतान किया और इस तरह आपसी षड़यंत्र के तहत ठेके के काम के भुगतान के गलत फॉर्मूले को अपनाकर लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके ARIES को धोखा दिया। इस प्रकार लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और इस प्रकार आपने पी.सी. अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत और इस माननीय न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध कारित किया।

9) पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध निचली अदालत द्वारा दिनांक 05.12.2015 को सीबीआई के मामले संख्या 04/2014 में निम्नलिखित आरोप तय किए गए थे।

सर्वप्रथम, कि आपने वर्ष 2008–09 के दौरान ARIES, मनोरा पीक, नैनीताल (उत्तराखंड) में निर्देशक के रूप में पदस्थापित रहते हुए एवं कार्य करते हुए श्री ओम प्रकाश के साथ आपराधिक षड़यंत्र किया तथा आपराधिक षड़यंत्र को आगे बढ़ाते हुए आपने लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरूपयोग करते हुए श्री ओम प्रकाश को समायोजित करने के लिए नोटिंग फाइल में ''अन्य व्यक्तियों के लिए'' और ''नई भरती'' शब्दों की गलत प्रविष्टियां करके एरीज, मनोरा पीक, नैनीताल में इंजीनियर ''बी'' सिविल के विज्ञापित पद के स्थान पर श्री ओम प्रकाश को इंजीनियर ''सी'' सिविल के पद पर नियुक्त किया और अन्य चयन समिति के सदस्यों को श्री ओम प्रकाश को विज्ञापित की तुलना में एक उच्च पद देने की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार अन्य संभावित उम्मीदवारों को आवेदन करने से वंचित कर दिया, जो कि यदि पद को इंजीनियर ''सी'' के रूप में विज्ञापित किया जाता, तो आवेदन कर सकते थे और पुनः विज्ञापन के मामले में चयन की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालकर, उन इच्छुक उम्मीदवारों को भी धोखा दिया, जिन्होंने इंजीनियर ''बी'' के पद के लिए

पुनः विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन किया था। इस प्रकार आपने श्री ओम प्रकाश के साथ षडयंत्र करके आधिकारिक अभिलेखों में छेड़छाड़ की और श्री ओम प्रकाश को इंजीनियर ''बी'' के विज्ञापित पद के विरुद्ध इंजीनियर ''सी'' के विज्ञापित पद के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश को इंजीनियर ''सी'' के रूप चयन और नियुक्त करते हुए चयन समिति के सदस्यों और अन्य इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा दिया और इस तरह आपने भा0दं0सं0 की धारा 120बी सपठित धारा 420, 477ए और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत और इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध कारित किया है।

दूसरी बात यह है कि आपने उक्त समय, स्थान और तरीके से बेईमानी से और धोखे से श्री ओम प्रकाश को इंजीनियर ''बी'' के पद के विज्ञापित पद के स्थान पर इंजीनियर ''सी'' के रूप में नियुक्त किया और आधिकारिक रिकॉर्ड में छेड़छाड करके अन्य संभावित इच्छुक उम्मीदवारों को वंचित कर दिया और चयन समिति के सदस्यों को भी धोखा दिया और इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 420 आईपीसी के तहत और इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

तीसरा, कि आपने उपरोक्त समय, स्थान और तरीके से आधिकारिक रिकॉर्ड में बेईमानी और धोखाधड़ी से छेड़छाड़ की और इंजीनियर ''बी'' के रूप में विज्ञापित पद के बजाय इंजीनियर ''सी'' सिविल पद में नियुक्ति करने के लिए श्री ओम प्रकाश का पक्ष लेते हुए गुप्त उद्देश्य के साथ पद को फिर से विज्ञापित किया और धोखाधड़ी के उद्देश्य से आधिकारिक रिकॉर्ड को धोखे से बदल दिया और इस तरह आपने भा0दं0सं0 की धारा 477ए के तहत और इस न्यायालय के संज्ञान में दंडनीय अपराध किया।

चौथा कि आपने उपरोक्त काल में, स्थान और तरीके से, लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके श्री ओम प्रकाश को इंजीनियर ''बी'' के रूप में विज्ञापित पद के बजाय इंजीनियर ''सी'' सिविल पद में समायोजित करने और उसका पक्ष लेने के लिए धोखे से या बेईमानी से आधिकारिक रिकॉर्ड को छेड़छाड़ कर बदल दिया। इस प्रकार लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और इस प्रकार आपने इस न्यायालय के संज्ञान में

पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है।

10) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं समस्त अभिलेख का अवलोकन किया।

11) पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, पुनरीक्षणकर्ता आरोप के वादी उस भाग को चुनौती नहीं दे रहे हैं। हालांकि, पुनरीक्षणकर्ता के लिए विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत आवश्यक दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए विभाग से मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए इस संबंध में भा0दं0सं0 के तहत आरोपों के संबंध में विचारण आगे नहीं बढ़ सकता है।

12) हालांकि मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को भेज दिया गया है ताकि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर आरोप तय करने/रिहाई के पहलू पर मामले पर विचार किया जा सके, हालांकि, इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण के मेमो

में न तो कोई आधार उठाया गया है और न ही कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को सीमित कर दिया है कि पंजाब राज्य बनाम लाभ सिंह, (2014) 16 एससीसी 807 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत सीबीआई द्वारा अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई है। दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ आरोप तय नहीं किया जाना चाहिए था।

13) इसके विपरीत सीबीआई के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पूरी सामग्री को जनहित याचिका अदालत के समक्ष लाया गया था और अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए, जनहित याचिका का निस्तारण सीबीआई को यह निर्देश देते हुए किया गया था कि वह पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे और उसके अनुसार उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

14) सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस इंस्पेक्टर व अन्य बनाम बत्तेनापतला वेंकट रत्नम व अन्य, (2015) 13 एससीसी 87 के मामले में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 10 और 11 यहां उद्धृत किया गया है :–

> ''10. लोक सेवकों को, वास्तव में, आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत एक विशेष श्रेणी के रूप में माना गया है, ताकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण या कष्टप्रद अभियोजन से बचाया जा सके। जनहित में उत्पीड़न से इस तरह की सुरक्षा दी जाती है; इसे भ्रष्ट अधिकारियों की सुरक्षा के लिए ढाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह, (2012) 3 एससीसी 64 के पैरा 74 में, यह माना गया है कि आ0प्र0सं0 की धारा 197 से संबंधित प्रावधानों को इस तरह से माना जाना चाहिए कि ईमानदारी, न्याय और सुशासन के कारण को आगे बढ़ाया जा सके। उद्धरण के लिए :–
>
> ''74 ....लोक सेवकों को उक्त सुरक्षा का आनंद लेने वाले व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग के रूप में माना जाता है ताकि वे भय और पक्षपात के बिना और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन की धमकी के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हालांकि, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खिलाफ उक्त सुरक्षा, जिसे जनहित में बढ़ाया गया था, भ्रष्ट अधिकारियों की सुरक्षा के

लिए ढाल नहीं बन सकती है। अनुच्छेद 74 के समानता प्रावधान के अपवाद होने के कारण ये प्रावधान सुरक्षात्मक भेदभाव के प्रावधानों के समान हैं और इन सुरक्षाओं को बहुत संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। स्वीकृति से संबंधित इन प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के बढ़ने के विपरीत ईमानदारी और न्याय और सुशासन के कारणों को आगे बढ़ाया जा सके।

11. धोखाधड़ी, रिकॉर्ड के जालसाजी या हेराफेरी में अधिकारी की कथित संलिप्तता को उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता है। उनका आधिकारिक कर्तव्य रिकॉर्ड को गढ़ना या शुल्क के भुगतान की चोरी की अनुमति देना और राजस्व के नुकसान का मामला नहीं है। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय इन महत्वपूर्ण पहलुओं से चूक गया। विद्वान न्यायालय ने सही ढंग से विचार किया है कि यदि मंजूरी के उक्त दृष्टिकोण का अर्थ लगाया जाना है, तो यह केवल परीक्षण के स्तर पर ही किया जा सकता है।''

15) सीबीआई के विद्वान वकील ने जोर देकर तर्क दिया कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ किसी व्यक्ति या विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की

गई थी, इसलिए आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सीबीआई द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह विशेष रूप से कहा गया है कि आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष के कुल 14 गवाहों में से 05 अभियोजन पक्ष के गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है।

16) स्वीकार्य रूप से, इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2013 के माध्यम से रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 07/2012 में जारी निर्देशों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके द्वारा सीबीआई को डब्ल्यूपीपीआईएल में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और उक्त प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार, जब प्राथमिकी ही जनहित याचिका अदालत के निर्देशों के तहत दर्ज की गई थी, तो आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत मंजूरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत पुनरीक्षणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी अनिवार्य थी, गलत है। यह सामान्य बात है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी किसी व्यक्ति या विभाग द्वारा ही दर्ज कराई जाती है

तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता लागू हो जाएगी, लेकिन जब अदालत के आदेशों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया हो तो आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

17) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले (सुप्रा) में दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए, लाभ सिंह के मामले में निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। बल्कि बट्टेनापटला वेंकट रत्नम के मामले में निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू होता है। सुब्रमण्यम स्वामी के मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय (सुप्रा) दिए गए थे, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत प्रदान की गई मंजूरी एक संरक्षण प्रक्रियात्मक प्रावधान है। इसलिए, मंजूरी से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के बढ़ने के विपरीत ईमानदारी और न्याय और सुशासन के कारणों को आगे बढ़ाया जा सके।

18) यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों के अनुरूपता में है कि न्याय व्यवस्था में तकनीकी बारीकी रास्ते में नहीं आनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी (सुप्रा) और बत्तेनपतला वेंकट रत्नम (सुप्रा) में निर्धारित निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू है। इस प्रकार, यह माना जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

19) पुनरावृत्ति की कीमत पर यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को अनुबंध मामले से संबंधित आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के संबंध में मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए और दोनों आरोपपत्रों में एकत्रित सामग्री के आधार पर आरोप तय करने/रिहाई के पहलू पर नए सिरे से मामले का न्याय करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पुनरीक्षणकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कोई दलील नहीं दी है कि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोई साक्ष्य के बिना निचली अदालत ने आरोप तय किए हैं, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता उन्मोचित होने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय फिर से

गुणदोष के आधार पर आरोप तय करने/रिहाई के पहलू पर मामले का फैसला कर रहा है।

20) सीबीआई मामला संख्या 04/2014 में भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 420, 477ए के तहत और सीबीआई मामला संख्या 05/2014 में भी भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 420, 477ए के तहत पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों का अध्ययन करने के बाद और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर, इस न्यायालय का विचार है कि समान अपराधों के संबंध में आरोप रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तय किए गए हैं और यह न्यायालय आश्वस्त है कि प्रथम दृष्टया उन्हीं आरोपों के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध अपराध बनाए गए हैं। रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि निर्देशक, ARIES के पद पर रहते हुए पुनरीक्षणकर्ता ने सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के तहत निर्धारित अनुबंध समझौते के उल्लंघन में गलत फॉर्मूला अपनाया है, जिससे ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया गया है। सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ करके विज्ञापित पद के स्थान पर उच्च पद पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को धोखे से नियुक्त करने के अलावा जो कि निचले पद के लिए

था, चयन समिति के सदस्यों को भी धोखा दिया; धोखाधड़ी के उद्देश्य से आधिकारिक रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से बदलवा दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से स्वयं को सदोष लाभ और सरकार को नुकसान पहुंचा। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से किए गए कपटपूर्ण और बेईमान कृत्यों को किसी भी तरह से उनके आधिकारिक कर्तव्यों/कार्यों के निर्वहन के दौरान किया गया नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार, आ0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत संरक्षण पुनरीक्षणकर्ता पर बिल्कुल लागू नहीं होता है।

21) अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, सीबीआई मामला संख्या 04/2014 में भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 420, 477ए के तहत और सीबीआई मामला संख्या 05/2014 में भी भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 420, 477ए के तहत पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध आरोप तय किये गये थे। यह दोहराया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण में ऐसा कोई आधार नहीं उठाया है कि रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कोई सबूत के बिना ही आरोप तय किए गए हैं। जहां तक पुनरीक्षणकर्ता के उन्मोचन का संबंध है, पुनरीक्षणकर्ता ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष दो पुनरीक्षण दायर किए थे, जिसमें उसके आरोपमुक्ति के आवेदनों को

खारिज कर दिया गया था। दोनों आपराधिक पुनरीक्षणों को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2016 के आदेश द्वारा नए सिरे से पुनरीक्षण स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ निष्फल होने के रूप में खारिज कर दिया गया था। न तो पुनरीक्षणकर्ता ने यह प्रार्थना की है कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में उसे मुक्त किया जाए, न ही ऐसा कोई तर्क पेश किया गया है कि वह उन्मोचित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

22) रघुबीर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1986) 4 एससीसी 481 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों ने निम्नानुसार निर्धारित किया है :–

> ''14. श्री जेठमलानी द्वारा दृढ़ता से यह तर्क दिया गया था कि धारा 165–ए के अलावा आरोप पत्र में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। संविधान की धारा 32 के तहत याचिका में हमारे द्वारा जांच किए जाने का मामला नहीं है। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह अदालत इस बात पर विचार करने के लिए खुद को एक मजिस्ट्रेट या एक विशेष न्यायाधीश की अदालत में

परिवर्तित नहीं कर सकती है कि क्या सबूत है या आरोप तय करने को सही नहीं ठहराया जा सकता है।''

23) पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि निचली विद्वान न्यायालय ने सीबीआई मामला संख्या 04/2014 में भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 420, 477ए और सीबीआई मामला संख्या 05/2014 में भी भा0दं0सं0 की धारा 120बी, 420, 477ए में रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ सही तरीके से आरोप तय किए हैं। इस प्रकार, मेरा सुविचारित मत है कि निचली अदालत ने पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने में कोई अवैधता कारित नहीं की है।

24) दोनों आपराधिक पुनरीक्षण गुणदोष से रहित हैं। तदनुसार, दोनो आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किये जाते हैं।

(लोक पाल सिंह, न्यायधीश)

दिनांकः जनवरी 25, 2021